न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 16/2021
3. उनवान : सरकार ज़रिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

नाथूराम पुत्र नुन्दाराम जाति बलाई नि0 ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 27-11-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम काल्या, पटवार हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/6 रकबा 2.5290 है0 बारानी 4 राजस्व रिकार्ड में नाथूराम पुत्र नुन्दाराम जाति बलाई निवासी ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का दोबडी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार नाथूराम पुत्र नुन्दाराम का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालना नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। पुनः रजिस्टर नोटिस भिजवाये गये जो एक माह बीतने पर लौटकर नहीं आये। प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को आवंटन सम्बन्धित दस्तावेज एवं आवंटन की शर्तों की प्रति मय समस्त गिरदावरी की प्रतियां पेश करने हेतु भी लिखा गया परन्तु उक्त सूचना प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रेषित नहीं की गई। 14(4) का प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा पेश किया गया है। ऐसे में प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि वह समस्त रिकार्ड दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में प्रभावी पैरवी करते।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अतः प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो, तो नवीन प्रकरण मय मौका रिपोर्ट आवंटन पत्रावली मय समस्त खसरा गिरदावरी आवंटन शर्तों आदि के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.11.2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला दाखिल नम्बर से कम हो।

Court to the Addl. Collector's Addl. District Magistrate III JAIPUR

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर